

मूल वाद डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली  
पीठासीन अधिकारी मुनिदेव यादव आर.ए.एस

रामस्वरूप पुत्र हरीचरण दत्तक पुत्र मदन जाति माली निवासी मैगजीन करौली तहसील व जिला करौली

—वादी

**बनाम**

- 1 हरीचरण पुत्र कल्ला जाति माली निवासी मैगजीन करौली तहसील व जिला करौली
- 2 किशोरी पुत्र लौहरे-फौत
- 2/1 कमला देवी वेवा किशोरी (दूसरी शादी कर ली)
- 2/2 धनीराम पुत्र किशोरी -फौत
- 2/3 रूपसिंह पुत्र किशोरी -फौत
- 2/4 हरिसिंह पुत्र किशोरी जाति माली निवासी मैगजीन तहसील व जिला करौली
- 3 हरिमोहन पुत्र गेदां-फौत
- 3/1 मोहरो उर्फ मोहरवाई वेवा हरिमोहन
- 3/2 पप्पू उर्फ करणसिंह उर्फ बडडे पुत्री हरीमोहन
- 3/3 सोनू पुत्र हरीमोहन
- 3/4 प्रेमसिंह उर्फ पिन्दू उर्फ लकमी पुत्र हरीमोहन
- 3/5 गुडडी पुत्री हरीमोहन
- 3/6 प्रेमबाई पुत्री हरीमोहन
- 3/7 केशन्ती उर्फ गीता पुत्री हरीमोहन
- 4 तहसीलदार तहसील करौली
- 5 गीता पुत्री किशोरी पत्नी पप्पू माली जाति माली निवासी गढी का गाँव तहसील व जिला करौली
- 6 राकेश पुत्र गोविन्द प्रशाद जाति ब्राह्मण निवासी करौली
- 7 हजारी पुत्र परसादी जाति माली निवासी करौली


सभी जातियान माली  
निवासीयान करौली

— प्रतिवादीगण


दावा 88,53 आर.टी.एक्ट  
मुकदमा नम्बर 08/2014  
निर्णय दिनांक 23.10.2019

वादी की ओर श्री रामजीलाल अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित है इस वाद मे आज तारीख 23.10.2019 (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा के आधार पर आदेश किया जाता है। और डिक्री दी जाती है। अतः दावा वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर वावत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नं. 6450,6451,6453,6454, 6455,6457,6531,6532,6534, 6539,6540 कुल किता 11 कुल रकवा 10 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कस्वा करौली पटवार मण्डल 9 तहसील करौली में वादी रामस्वरूप पुत्र हरीचरण को हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी संख्या 1 हरिचरण को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 मृतक के जायज वारीसान 2/2 धनीराम 2/3 रूपसिंह 2/4 हरिसिंह व 5 गीता को खसरा नं. 6531 के रकवे को छोड कर शेष रकवे में हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3/1 मोहरो 3/2 पप्पू 3/3 सोनू 3/4 प्रेमसिंह 3/5 गुडडी 3/6 प्रेमबाई 3/7 केशन्ती जो कि मृतक प्रतिवादी 3 हरिमोहन पुत्र गैदा के वारिस हिस्सा 1/4 एवं मृतक प्रतिवादी नं. 2 किशोरी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि वेचार करने के कारण राकेश व हजारी को खसरा नं. 6531 के रकवे के वेचान में हिस्सा 1/4 तक ही अंकन रहेगा शेष पंजीयन इन्द्रज शुन्य रहेगा। के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार पक्षकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल कराने के अधिकारी है।

यह आज तारीख 23.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

वादे के खर्चे	प्रतिवादी	रुपया
वादी		
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 .....रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 2 कमिश्नर की फीस 3 आदेशिका की तामिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़	जोड़	

  
उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)